439
19/9/12

खण्ड : 13 संख्या : 1,2,3

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(त्रयोदश सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सत्यमेव जयते

वृहस्पतिवार, दिनांक : 18 जनवरी 1990 ई०
शुक्रवार, दिनांक : 19 जनवरी 1990 ई०
शनिवार, दिनांक : 20 जनवरी 1990 ई०

कार्य मंत्रणा समिति का गठन

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के नियम 19 (1) के अन्तर्गत मैं निम्न सदस्यों को नवम बिहार विधान–सभा के त्रयोदश सत्र के लिए कार्य–समिति के सदस्य मनोनीत करता हूँ –

1. डा० जगन्नाथ मिश्र, मुख्यमंत्री
2. श्री लहटन चौधरी, मंत्री
3. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, संसदीय कार्यमंत्री
4. मो० हुसैन आज़ाद, मंत्री
5. श्रीमती उमा पाण्डेय, मंत्री
6. श्री भीष्म प्रसाद यादव, मुख्य सचेतक, स० वि० स०
7. श्री अनूप लाल यादव, स० वि० स०
8. श्री रामदास राय, स० वि० स०
9. श्री रमेन्द्र कुमार, स० वि० स०
10. श्री सूरज मंडल, स० वि० स०

विशेष आमंत्रित

1. श्री रामलखन सिंह यादव, मंत्री
2. श्री दिलेश्वर राम, मंत्री
3. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, (आलमनगर) स० वि० स०
4. श्री डा० शकील अहमद, स० वि० स०

नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होगे ।

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक आपत्ति है और वह आपत्ति यह है कि डा० मिश्र को आपने बिजनेस

ऐडवाईजरी कमिटी का सदस्य बनाया है । विधान–सभा की किसी भी कमिटी का सदस्य चाहे वह वार्ड एलेक्शन से हो या वार्ड नोमिनेशन से हो वार्ड स्पीकर वही सदस्य हो सकते हैं जो इस हाऊस के सदस्य हो सकते हैं । वैसे किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को किसी भी कमिटी में भाग लेने का, बैठने का, बोलने का अधिकार है, परन्तु वह वोट नहीं कर सकता है उसको वोट करने का अधिकार नहीं रहेगा । ऐसी अवस्था में डा० मिश्र को जो बिजनेस ऐडवाईजरी कमिटी का मैम्बर बनाया गया है, वह नियमानुकूल नहीं है ।

श्री राजो सिंह : जब मुख्यमंत्री श्री भागवत झा आज़ाद थे, तब भी आपने यह पाइंट उठाया था ।

श्री रमेन्द्र कुमार : जब श्री भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री थे, तो प्रश्न उठा था सदन नेता का । अभी मैं सदन नेता का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं उठा रहा हूं वह यह है कि क्या डा० मिश्र जो इस हाऊस के मैम्बर नहीं हैं, किसी भी कमिटी के मैम्बर हो सकते हैं या नहीं? राजे बाबू नर्वस हो गये हैं ।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय डा० मिश्र सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिये वे अधिकृत हैं । मैं कभी नर्वस नहीं होता हूं ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : यह बात पहले भी उठी है, एक बार नहीं कई बार । सभा नेता का डिफनिशन रूल में दिया हुआ है । सभा नेता से अभिप्रेत हैं मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की हैसियत से आपने उनको नौ मिनट किया है । इसलिये वह

बिल्कुल लिगल है । आपका नियम पर आधारित है । राजो बाबू के बारे में उन्होंने कहा, राजो बाबू कभी नर्वस नहीं होते हैं, अपने नर्वसनेस को वे उनकी तरफ क्यों धकेल रहे हैं ।

श्री उपेन्द्र प्र० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी स्वयं सभा नेता रहेंगे या दूसरे किसी को मनोनीत करेंगे, इस आशय की सूचना क्या आपको या सभा सचिवालय को उन्होंने दे दी है?

अध्यक्ष : इसका प्रश्न ही नहीं उठता है ।

राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों को प्रमाणीकृत प्रतियों को सभा-पटल पर रखा जाना :

श्री रामाश्रय प्र० सिंह : महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) (क) के अनुसार मैं राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित निम्न नौ (9) अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा-मेज पर रखता हूं :

1. बिहार मनोरंजन कर (संशोधी एवं विधि मान्यकरण) तृतीय अध्यादेश, 1989 (अध्यादेश संख्या-27/89)
2. बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबन्ध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) तृतीय अध्यादेश, 1989 (अध्यादेश संख्या-28/89)
3. नालन्दा खुला विश्वविद्यालय तृतीय अध्यादेश, 1989 (अध्यादेश संख्या-29/89)
4. बिहार इंटरमिडियेट शिक्षा परिषद् तृतीय अध्यादेश, 1989 (अध्यादेश संख्या 30/89)